रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2014/भाद्र 4, 1936
No. 215] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2014/BHADRA 4, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. यू–23013/09/2011–एलडब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2011 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, में प्रकाशित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन का निदेश देता है।

उक्त संकल्प के पैरा 2 में क्रम संख्या 2 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित नामित का प्रतिस्थापन किया जाता है :–

(2) श्री आलोक कुमार, –सदस्य
अधिशासी निदेशक, सिविल इंजिनियर (सामान्य),
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली–110001

जी.के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th August, 2014

No.U-23013/09/2011-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1, dated 20th April, 2011, namely:—

In the said Resolution for serial number (2) in para 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

(2) Shri Alok Kumar, —Member

Executive Director, Civil Engineering (General),

Ministry of Railways (Railway Board),

New Delhi-110001

G.K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.